

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-12/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० इमरान सबा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर का दिनांक-03.09.2020 से 15.09.2023 तक अध्ययन अवधि तथा दिनांक-16.09.2023 से 01.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-03.09.2020 से 15.09.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-16.09.2023 से 17.09.2023 तक	- देय अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-18.09.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

1358(2)

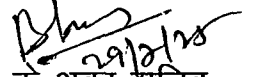
ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-12/2024-

पटना, दिनांक

1/8/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/डा० इमरान सबा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, भोजपुर/प्रशाखा-3, 9 एवं 13A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

